भारत सरकार

कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय

कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 2483

10 दिसंबर, 2024 को उत्तरार्थ

विषय:- अनाज की खरीद के लिए आवंटित की गई धनराशि

2483. श्री माधवनेनी रघुनंदन राव:

क्या **कृषि एवं किसान कल्याण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) केन्द्र सरकार द्वारा तेलंगाना में अनाज की खरीद के लिए आवंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) सुचारू खरीद को सुकर बनाने के लिए स्थापित सुविधाओं और अवसंरचना का ब्यौरा क्या है;

(ग) राज्य सरकार की निष्क्रियता के कारण आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे किसानों को राहत देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) सरकार तेलंगाना में कृषि क्षेत्र को स्थिर करने के लिए एक सुचारू और कुशल खरीद प्रक्रिया किस प्रकार सुनिश्चित करती है?

उत्तर

कृषि एवं किसान कल्याण राज्य मंत्री (श्री रामनाथ ठाकुर)

(क) : सरकार द्वारा खाद्य सब्सिडी के लिए राज्य-वार धनराशि आवंटित नहीं की जाती है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग उन राज्यों द्वारा किए गए व्यय की प्रतिपूर्ति करता है जिन्होंने केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के तहत खाद्यान्नों के वितरण पर विकेंद्रीकृत खरीद मोड का विकल्प चुना है। अन्य राज्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा निर्धारित आवंटन के अनुसार भारतीय खाद्य निगम से खाद्यान्न उठाते हैं। पिछले तीन वर्षों से तेलंगाना को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत खाद्यान्न वितरण के लिए प्रतिपूर्ति की गई खाद्य सब्सिडी का विवरण इस प्रकार है:-

वर्ष	रिलीज की गई धनराशि (रुपए करोड़ में)
2021-22	7665.02
2022-23	5242.76
2023-24	5367.07
2024-25(अक्तूबर 24 तक)	2592.10

(ख): एमएसपी आपरेशनों के तहत खाद्यान्नों की खरीद अनिवार्य रूप से ऑनलाइन पोर्टलों के माध्यम से की जाती है, जिससे सरकारी खरीद करने वाले केंद्रों/मंडियों में उनकी उपज की बिक्री के लिए किसानों के पंजीकरण की शुरूआत, ऑनलाइन भूमि/फसल सत्यापन और किसानों के बैंक खाते में सीधे एमएसपी का ऑनलाइन भुगतान के साथ प्रक्रिया करने में पर्याप्त पारदर्शिता आई है।

आरएमएस 2021-22 से पूरे देश में "डीबीटी के माध्यम से एक राष्ट्र, एक एमएसपी" लागू किया गया है। एमएसपी का भुगतान सीधे किसानों के खाते में सुनिश्चित किया गया है। एमएसपी के डीबीटी होने से सिस्टम में जिम्मेदारी, पारदर्शिता और वास्तविक समय की निगरानी आई है।

(ग): सरकार भारतीय खाद्य निगम और राज्य एजेंसियों के माध्यम से धान और गेहूं के लिए मूल्य समर्थन प्रदान करती है। इसके अलावा, विभिन्न प्रकार के पोषक अनाज (मिलेट) और मोटे अनाज विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा एफसीआई के परामर्श से इस सीमा तक खरीदे जाते हैं कि संबंधित राज्य सरकारें लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के साथ-साथ अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत वितरण के लिए उनका उपयोग कर सकती हैं। उचित औसत गुणवत्ता के अधिसूचित दलहन, तिलहन और खोपरा को संबंधित राज्य सरकार के सहयोग से इसके मौजूदा दिशानिर्देशों के अनुसार, मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) के तहत पंजीकृत किसानों से एमएसपी पर खरीदा जाता है, जो प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अभियान की एकीकृत योजना का एक घटक है। घरेलू उत्पादन को बढ़ाने के लिए किसानों को प्रोत्साहित करने और आयात पर निर्भरता कम करने के लिए, पीएसएस के तहत तुअर, उड़द और मसूर की मौजूदा खरीद सीमा को वर्ष 2023-24 के लिए हटा दिया गया था और इसे वर्ष 2024-25 के लिए भी बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा, सरकार द्वारा क्रमशः कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और जूट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के माध्यम से एमएसपी पर कपास और जूट की खरीद की जाती है। परिणामस्वरूप, समग्र बाजार, उन खरीद आपरेशनों के माध्यम से सरकार द्वारा बाजार में हस्तक्षेप का प्रत्युत्तर देता है जो एमएसपी के तहत विभिन्न अधिसूचित फसलों के लिए बाजार को ऊपर की ओर ले जाता है।

(घ) उत्पादन, विपणन योग्य अधिशेष, किसानों की सुविधा आदि को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा खरीद केंद्र खोले जाते हैं। केएमएस 2024-25 (खरीफ) के दौरान राज्य सरकार की एजेंसियों द्वारा तेलंगाना में 8800 से अधिक खरीद केंद्र खोले जाने का प्रस्ताव है।

बेहतर निगरानी, समीक्षा और निर्णय लेने के लिए लगभग वास्तविक समय के आधार पर सूचनाओं का भंडार रखने के लिए राज्य खरीद पोर्टलों को केंद्रीय खरीद खाद्यान्न पोर्टल (सीएफपीपी) के साथ एकीकृत किया गया है। राज्य खरीद पोर्टल किसानों को घोषित एमएसपी, निकटतम खरीद केंद्र, खरीद की तिथि/अवधि, उपज की बिक्री के लिए किसानों को उनकी बुकिंग के विरुद्ध स्लॉट/समय का आवंटन आदि के बारे में नवीनतम/अद्यतन जानकारी भी प्रदान करते हैं। ये किसान को अपनी सुविधा के अनुसार निकटतम मंडी में स्टॉक पहुंचाने में सक्षम बनाते हैं।

धान के लिए एमएसपी ऑपरेशनों की पहुंच को व्यापक बनाने के लिए, सरकार ने राज्य खरीद एजेंसियों द्वारा सहकारी समितियों/स्वयं सहायता समूहों/पंचायतों/पीएसी को शामिल करने का प्रावधान किया है ताकि अधिकतम किसान मूल्य समर्थन संचालन का लाभ उठा सकें।

******